न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा
जिला—दौसा

प्रकरण संख्या :—140/2022 पुराना 58/2021
प्रकरण रज्जु दिनांक :— 18.3.2021
निर्णय दिनांक :— 18.9.2023

प्रकरण अंतर्गत धारा तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण का उनवान

सीयाराम पुत्र हरबक्स ब्राहमण निवासी महलूनी तह.बसवा जिला—दौसा (प्राथी)

बनाम

गोपाल पुत्र हरबक्स जाति ब्राहमण निवासी महलूनी तह.बसवा वगैरह (अप्रार्थीगण)

—: निर्णय वास्ते तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा :—

दिनांक :— 18.9.2023

पत्रावली पेश हुई । वादीगण द्वारा एक दावा वास्ते तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का न्यायालय हाजा में पेश किया कि वाके मौजा ग्राम महलूनी तह.बसवा जिला—दौसा के आराजी खसरा नंबर 171/330 रकबा 0.38 हैक्टयर, 184 रकबा 0.46 हैक्टयर, 187 रकबा 0.67 हैक्टयर, 188 रकबा 0.21 हैक्टयर, 299 रकबा 0.65 हैक्टयर, 303 रकबा 0.02 हैक्टयर, 304 रकबा 0.96 हैक्टयर, 309 रकबा 0.63 हैक्टयर कुल किता 8 कुल रकबा 3.91 हैक्टयर सिथत है । जिसके वर्तमान राजस्व अभिलेख में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 का हिस्सा 1/4 — 1/4 का पृथक—पृथक खातेदार का अंकन दर्ज है । वर्णित वादग्रस्त भूमि का पक्षाकारान के मध्य विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है । पक्षकारों ने मनसमाई बाहमी रूप से मुताबिक हिस्सा अनुसार भूमि को मौके पर बांटा हुआ है तथा वादी अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त करते हुए मुस्तफीद होता आ रहा है । खसरा नंबर 303 रकबा 0.02 हैक्टयर गै.मु.चाह है । भूमि वादग्रस्ता का विधिवत तकास्मा नहीं होने के कारण वादग्रस्त भूमि के उपयोग उपभोग को लेकर अक्सर छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद उत्पन्न होते रहते हैं जिससे वादी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न होता है साथ ही वादी अपने हिस्से में आई भूमि की गुणवत्ता को बढाने के लिये अच्छे उर्वरकों सुविधाजनक कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करने से वंचित रहता है ऐसे में वादी ने वादग्रस्त भूमि का आपसी सहमति एवं कब्जे काश्त के आधार पर विधिवत तकास्मा प्रतिवादी संख्या 5 के यहां करवाने के लिये दिनांक 3.3.2021 को प्रतिवादीगण से कहा तो साफ इंकार हो गये । अतः भूमि मुतदाविया वर्णित जिम्मन नंबर 1 वाद पत्र का पक्षकारान के मध्य विधिवत सरस नरस तकास्मा किया जाकर वादी के नाम पृथक से हिस्सा 1/4 का इन्द्राज वादी के नाम से राजस्व अभिलेख में किया जावे । तथा इसी प्रकार नक्शा सीट में वादी के हिस्से में रंग भरा जाकर तरमीम करते हुए लगान का भी विभाजन किया जावे । वादी को हिस्सा 1/4 का खातेदार घोषित किया जाकर अलग—अलग खाते खतोनी अलग जमाबंदी व पासबुक बनाई जाकर लगान का बंटवारा अलग—अलग किया जावे ।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई । उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई । उभय पक्षकारान ने प्राथमिक डिकी का तकास्मा करवाये जाने का निवेदन किया । हमने वादी वादपत्र संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । उभयपक्षकारान वकील की बहस पर मनन किया गया । वादपत्र में अंकित भूमि वादग्रस्त राजस्व जमाबंदी में पक्षकारान की सहखातेदारी में दर्ज है । सहखातेदारान को अलग—अलग खाता करवाने का अधिकार विधिक रूप से प्राप्त है । अतः हम प्रकरण में प्राथमिक डिकी जारी किया जाना उचित समझते हैं । इसी कम में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 15.2.2022 को प्रकरण में प्राथमिक डिकी जारी की गई । साथ ही तहसीलदार बसवा को

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

प्राथमिक डिकी जारी करके निर्देश दिये गये कि खातेदारान के मध्य सरस नरस रास्ते आदि की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, जहां तक संभव हो वहां काबिज हैं के अनुसार विधिक प्रकिया का पालन करते हुए विभाजन कर बरंग सुर्ख नक्शा के कुरेजात भिजवावें । प्राथमिक डिकी जारी कर तहसीलदार तहसीलदार को कुरेजाते प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहरीर जारी की गई ।

तहसीलदार बसवा द्वारा पुनः कुरेजात उनके पत्रांक भू.अ./2022/10686 दिनांक 15.11.2022 के द्वारा न्यायालय हाजा को भिजवावें । प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया गया एवं वकील उभयपक्षकारान को सुना गया । वकील उभय पक्षकारान द्वारा प्राप्त कुरेजात को अंतिम डिकी से निर्णित करने पर सहमति प्रदान की ।

प्राप्त कुरेजात तहसीलदार बसवा द्वारा पक्षाकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूपे राजस्व रिकोर्ड के बनाया जाना प्रकट होने एवं स्थित पक्षाकारों की सहमति से स्वीकार किया जाकर अंतिम डिकी किया जाना उचित प्रतीत होने से प्राप्त कुरेजात स्वीकार किया जाकर निम्न अनुसार अंतिम डिकी जारी की जाती है :–

हाल जमाबंदी के अनुसार खातेदारान विवरण –खाता संख्या 266

कम	नाम वर्तमान खातेदारान	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	गोपाल, जगदीश,सीयाराम पि.हरबक्स हि.3/4 हि.ब.राहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा बांदीकुई रामदयाल पुत्र हरबक्स हि.1/4 जाति ब्राहमण सा. देह खातेदार	171/330 184 187 188 299 303 304 309	0.38 0.46 0.67 0.21 0.65 0.02 0.96 0.63	बा.ए जा.ए/0.37 जा.ए/0.09 चा.ए./0.54 जा.ए/0.13 चा.ए/0.17 जा ए/0.04 चाही 1 गै.मु.चाह बा.ए चाही –2/0.51 जाव–2/0.12
		कुल 8	3.98 है.	
2	रामदयाल पुत्र हरबक्स हि.पूर्ण जाति ब्राहमण सा. देह खातेदार	184 304/5 309/1	0.46 0.17 0.34	चा.ए/0.37 जा.ए..09 बारानी ए चा.1/0.31 चा.1/0.03
		किता 3	0.97	

वर्तमान कुरेजात प्रस्ताव के अनुसार खातेदारी

कम	खातेदरान के नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	सीयाराम पुत्र हरबक्स हि.पूर्ण जाति ब्राहमण सा. देह खातेदार राहिन जयपुर थार ग्राम बैंक शाखा बांदीकुई	187/2 188/2 304/2 309/4	0.33 0.07 0.44 0.13	चा.ए/0.27 जा.ए./0.06 चा.ए./0.06 जा.ए./0.01 बा.ए चा.2/0.10 जा.2/0.03
		किता 4	0.97 है.	
2	जगदीश गोपाल पि. हरबक्स हि.बराबर जाति ब्राहमण राहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा बांदीकुई	187/1 188/1 171/330 299 304/1 304/4 309/3	0.34 0.14 0.38 0.65 0.17 0.13 0.13	चा.ए/0.27 जा.ए./0.07 चा.ए./0.11 जर.ए./0.03 बा.ए चाही ए बारानी ए बारानी ए चा.2/0.07 जा.2/0.06
		किता 7	1.94	
3	गोपाल जगदीश सीयाराम पि. हरबक्स हि.3/4 हि.ब. राहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा बांदीकुई रामलाल पुत्र हरबक्स हि.1/4 जाति ब्राहमण सा. देह खातेदार	303 304/3 309/2	0.02 0.05 0.03	गै.मु.चाह बा.ए चाही.2
		किता 3	0.10 है.	

तदनुसार राजस्व रिकोर्ड में विधिवत अमल दरामद किया जावे । तहसीलदार बसवा को तहरीर जारी हो । निर्णय आज दिनांक 18.9.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर, दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो ।

(डॉ.नवनीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,बसवा
जिला–दौसा